न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्या :–04/2017 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

देवता श्री हीरामन जी महाराज विराजमान वाके ग्राम लोटवाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर जरिये अहतमाम अतरूप पुत्र शिवचरन जाति गुर्जर निवासी लौटवाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. प्रभू
2. गोपी
3. भीम सिंह
4. तेज सिंह
5. केदार

} पुत्रान मनोहरी जाति गुर्जर निवासी ग्राम लौटवाडा(गदहखार) तह0 बयाना जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना दिनांक 27.12.16 मि.नं. 10/2006 उनवानी हीरामन बनाम प्रभू

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. अभिभाषक रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–09.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया कि अपीलाण्ट/वादी, देवता श्री हीरामन जी महाराज वाके ग्राम लौटवाडा तहसील बयाना का पुजारी है तथा हीरामन देवता की सेवा पूजा, भोग विलास आदि का प्रबन्ध करता है। वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी, देवता श्री हीरामन जी महाराज की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है, जिसमें कुँआ, हैण्डपम्प, पाटौर व धर्मशाला आदि बनी हुई व कई पेड छायादार लगे हुए हैं। रैस्पो0/प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध व सारोकार नहीं है एवं ना ही पूर्व में कभी रहा है। परन्तु रैस्पो0/प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व लट्ठ वाले व्यक्ति हैं, वह जबरदस्ती लट्ठ के बल पर देवता श्री हीरामन जी महाराज की उक्त आराजी पर अपना नाजायज कब्जा करने पर उतारू हैं, जिससे अपीलाण्ट/वादी व देवता श्री हीरामन जी महाराज के अधिकारों पर कुठाराघात होने का अन्देशा पैदा हो गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर रैस्पो0/प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, वादी के वादार्थ सरंक्षक शिवचरन की मृत्यु होने पर, अपीलाधीन आदेश से अबेट कर दिया। जिससे व्यथित होकर, अपीलाण्ट /वादी ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आयें, अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व खिलाफ रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। अपीलाण्ट के पिता श्री शिवचरन देवता श्री हीरामन जी महाराज की सेवा पूजा करते थे तथा उनमें देवता आते थे, उनकी मृत्यु के बाद अपीलाण्ट देवता की पूजा–भोग–राज व सभी प्रकार का इंतजाम करता है। प्रार्थी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र 22(3) प्रस्तुत किया था, जो अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर मानते हुए खारिज कर दिया व वाद को एबेट कर दिया, जो अवैधानिक है। देवता शास्वत नाबालिग होता है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है तथा उसकी ओर से प्रस्तुत दावा एबेट नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि मियाद के बिन्दु पक्षकारों के अधिकारों को समाप्त करने हेतु नहीं होते, अपितु पक्षकारों को वास्तविक न्याय देने हेतु तकनीकी बिन्दुओं को नजरंदाज करते हुए प्रकरण को मैरिअ पर निस्तारित करना चाहिये, इस सर्वमान्य सिद्धान्त को नजरंदाज करके सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र कायम मुकाम को खारिज कर प्रकरण को एबेट करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.12.2016 को अपास्त किया जावें एवं दावा का एबेटमेंट निरस्त कर देवता वादी की ओर से अपीलाण्ट को पैरोकार नियुक्त किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट/ वादी के वादार्थ संरक्षक शिवचरन की मृत्यु दिनांक 11.11.2011 को होने के पश्चात् शिवचरन के पुत्रो की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.05.2012 को प्रार्थना पत्र आर्डर 22 रूल 4 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर मानते हुए, प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए, दावा अपीलाण्ट/वादी अपीलाधीन आदेश से अबेट किया गया है। हम पाते हैं कि वादी देवता श्री हीरामन जी महाराज हैं, जो शास्वत नाबालिग है, की मृत्यु नहीं होती। प्रकरण में वादार्थ सरंक्षक (Next Friend) की मृत्यु हुई है, जिसका प्रतिस्थापन होना था इस बाबत् अपीलाण्ट/वादी के पुत्रों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र 22 रूल 4 अथवा 22 रूल 3 पेश किया है, की भी आवश्यकता नहीं थी। परन्तु जब अपीलाण्ट/वादी के पुत्रों द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर ही दिये थे, तो अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र को वाद मित्र नियुक्त किए जाने की प्रार्थना मानी जाकर कार्यवाही करनी थी। हमने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 पर भी गौर किया। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 32 रूल 10 में निर्देश हैं कि अवयस्क के वाद–मित्र की निवृत्ति, हटाए जाने या मृत्यु पर आगे की कार्यवाहियॉ तब तक रोक रखी जाएगी, जब तक उसके स्थान में वाद–मित्र की नियुक्ति न हो जाए। अतः अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में वाद–मित्र की मृत्यु पर आगे की कार्यवाहियॉ रोकी जानी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा ना करते हुए, अपीलाण्ट/वादी के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए

प्रकरण को अवेट किया जाना, प्रत्यक्षतः त्रुटि पूर्ण है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2016 अपास्त किये जाकर, निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों की पृष्ठभूमि में पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.12.2017 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 09.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official